भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4674

21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सीवर सफाई कार्यों का मशीनीकरण

†4674. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी नगर निकायों में सीवर की मशीनीकृत सफाई का अधिदेश दिया है और यदि हाँ, तो राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरे के साथ कार्यान्वयन की स्थिति और अन्य चुनौतियाँ क्या हैं;

(ख) क्या हाल ही में की गई एक संपरीक्षा में पाया गया है कि चौवन घातक मामलों में से केवल दो में ही मशीनीकृत उपकरण उपलब्ध कराए गए थे; और

(ग) यदि हाँ, तो सीवर की सफाई के अनिवार्य मशीनीकरण के लिए नगर निकायों को जारी किए गए निदेशों, यदि कोई हों तो, का ब्यौरा क्या है और सशरीर सीवर प्रवेश को समाप्त करने और पूर्ण मशीनीकरण में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) : संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार स्वच्छता राज्य का विषय है और भारत के संविधान के 74वें संशोधन द्वारा जल और स्वच्छता सेवाओं संबंधी शक्ति शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सौंपी गई है। देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना, डिजाइन तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित और संचालित करना राज्य/ शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

(एसडब्ल्यूएम) और प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) पर नियमावली/ मानक प्रक्रिया (एसओपी) साझा करके नीतिगत निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है और ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के चयन हेतु समय-समय पर विभिन्न परामर्शिकाएं और दिशानिर्देश जारी करता है।

प्रयुक्त जल शोधन में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की सहायता करने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर, 2021 को स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 शुरू किया गया था, जिसमें एक नया घटक अर्थात प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) शामिल है, जिसका एक उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंकों में जोखिमपूर्ण प्रवेश को खत्म करना और सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कार्यों के मशीनीकरण के माध्यम से मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति को बनाए रखना है। इसके लिए 1 लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को (i) सेप्टिक टैंक डीस्लजिंग उपकरणों की खरीद; (ii) प्रयुक्त जल शोधन के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) / एसटीपी-सह-फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) की स्थापना; (iii) एसटीपी तक पंपिंग स्टेशनों और पंपिंग मेन / ग्रेविटी मेन के प्रावधान सहित अवरोधन और डायवर्जन (एल एंड डी) संरचनाओं आदि के लिए केंद्रीय अंश की निधि जारी की जाती है।

भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में एसबीएम-यू 2.0 के यूडब्ल्यूएम घटक के अंतर्गत 15926.55 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से अब तक केंद्रीय हिस्से की 13699.40 करोड़ रुपये की कार्य योजना को अनुमोदन दिया जा चुका है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सुरक्षा पद्धतियों को संस्थागत बनाने और सीवर की मैन्युअल सफाई के जोखिमों को कम करने की रूपरेखा तैयार के उद्देश्य से आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ईआरएसयू) पर एक परामर्शिका जारी की है, जिसे https://sbmurban.org/storage/app/media/Advisory_on_Emergency_Response_Sanitation_Unit.pdf पर देखा जा सकता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सीवर की मशीनी और मैनुअल सफाई तथा सेप्टिक टैंकों को खाली करने के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित एसओपी भी जारी किया है और इसके साथ ही सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई पर सफाई कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल भी जारी किया है, जो https://sbmurban.org/storage/app/media/SOP_for_Cleaning_of_Sewers_and_Septic_Tanks.pdf पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, एसबीएम-यू, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने निजी स्वच्छता सेवा ऑपरेटरों (पीएसएसओ) की नियुक्ति के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जून, 2025 में मॉडल पैनल और अनुबंध दस्तावेज जारी किए हैं। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (पीईएमएसआर) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में सुरक्षित, मशीनीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पष्ट कानूनी और परिचालन दिशानिर्देश तैयार करना है। इसके अलावा, इसमें उन निजी ऑपरेटरों के लिए दंड, सेवा समाप्ति और उन्हें काली सूची में डालने की शर्तें भी तय की गई हैं, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, जिससे सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न होता है और जो इस अनुबंध के तहत मशीनीकृत सफाई सेवाएं प्रदान करने में विफल रहते हैं।

डीस्लजिंग सर्विसेज को पेशेवर बनाने, एसटीपी/एफएसटीपी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग और मल कीचड़ के सुरक्षित एवं कुशल निपटान को सुनिश्चित करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सभी शहरी क्षेत्रों में डीस्लजिंग सर्विसेज के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रहा है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के अंतर्गत, अर्बन प्लेटफोर्म फॉर डिलीवरी ऑफ़ ऑनलाइन गवर्नेंस (यूपीवाईओजी)' प्लेटफ़ॉर्म 'डीस्लजिंग सर्विसेज /मल कीचड़ प्रबंधन' डिजिटल मॉड्यूल प्रदान करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस मॉड्यूल के माध्यम से संपूर्ण डीस्लजिंग प्रक्रिया को डिजिटल बना सकते हैं।

*****